

रेडी रेकनर

दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी कैसे अदा करे इस सम्बन्ध में आम आदमी की जानकारी हेतु निम्नवत सूचना संकलित कर संक्षेप में प्रदर्शित है यह जानकारी के अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में उद्धृत किये जाने के लिए नहीं है जनता द्वारा सामान्य समझवहार में प्रायः छिन प्रमुख दस्तावेजों/लिखतों को बनाया जाता है उन पर उत्तर प्रदेश में देय स्टाम्प ड्यूटी की दर निम्नवत है। यदि दस्तावेज के पक्षों के मध्य अन्धधरा सहमति न हो तो स्टाम्प ड्यूटी किसके द्वारा अदा की जायेगी यह भी स्पष्ट किया गया है। जहाँ कहीं भी रकम के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय है वहाँ 1000 से ऊपर की धनराशियों को अगले निकटतम हजार में पूर्णकृत कर स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जायेगी। स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि दस के गुणक में पूर्णकृत की जायेगी।

sr.n.	Description of Instruments	Schedule	Article	Proper stamp duty	payable by whom
1.	Receipt(the amount or value of which exceeds five hundred rupees.	1	53	1.00 Schedule(receipt ticket)	executant
2.	Adoption deed (गोदानाम)	1-B	3	100	executant
3.	Agreement or memorandum of an agreement: (b-1)If relating to the sale of an immovable property where possession is not admitted to have been deliverd, nor is agreed to be delivered without executing the conveyance: (b-2) builders agreement (c) Agreement with possession	I-B	5	The same duty a on conveyance(N0.23 Clause(a) on one half of the amount of consideration as set forth in the agreement @ 40/-per thousand The same duty as a conveyance(N0.23 Clause(a) for a consideration equal to the amount or value of the land. as per conveyance no. 23 (on the market value)	Purchaser Purchaser
4.	Agreement relating to deposit of title deeds,pawn or pledge	I-B	6	Rs.5/-per thousand on a loan or debt amount, maximum upto 10000/-.	executant
5.	Bank Guarantee	I-B	12-14	Rs.5/-per thousand on secured amount, maximum upto 10000/-.	executant
6.	Bond(not being otherwise provided for this Act or by the Court Fees Act, 1870	I-B	15	@ 40/- per thousand	executant
7.	Cancellation (not provided otherwise)	I-B	17	Rs. 100/-	executant
8.	Sale certificate	I-B	18	as per sale deed for a consideration equal the amount of the purchase money only.	by purchaser

9.	Conveyance(Sale deed) (a) if relating to immovable property (b) if relating to movable property	I-B	23	Consideration or value, whichever is higher for male @ 50/-per thousand and @ 40/- per thousand for female upto 10 Lacs value, above the value of Rs. 10 Lacs @ 50/- Rs. per thousands- Rs. 20/- per thousands	by purchaser
10.	Divorce	I-B	29	Rs.50/-	executant
11.	Counterpart or Duplicate	I-B	25	Rs.50/-	by purchaser
12.	Exchange deed	I-B	31	as per conveyance for a consideration equal to the value of property of greatest value as set forth in such instrument	equally by executants
13.	Gift Deed	I-B	33	on the market value, for male @ 50/-per thousand and @ 40/- per thousand for female upto 10 Lacs value, above the value of Rs. 10 Lacs @ 50/- Rs. per thousands-	donee
14.	Indemnity Bond	I-B	34	Rs. 100/-	executant
15.	Titimba(correcting a purely clerical error in an instrument)	I-B	34- ^r	Rs. 10/-	purchaser
16.	Lease- including and under lease and an agreement to let or sublet- (a) where by such lease, rent is fixed and no premium is paid or delivered (i) where the lease purports to be for a term not exceeding one year; (ii) Where the lease purports to be for a term exceeding one year, but not exceeding five years.	I-B	35	@ 2% per thousand for the whole amount payable or deliverable under such lease. @ 2% per thousand for a consideration equal to three times the amount or value of the	Lessee or deemed lessee

<p>(iii) Where the lease purports to be for a term exceeding five year, but not exceeding ten years.</p> <p>(iv) Where the lease purports to be for a term exceeding ten year, but not exceeding twenty years.</p> <p>(v) Where the lease purports to be for a term exceeding twenty year, but not exceeding thirty years.</p> <p>(vi) Where the lease purports to be for a term exceeding thirty or in perpetuity or does not purport to be for any definite term.</p> <p>(b) where the lease is granted for a fine or premium, or for money advanced and where no rent is reserved.</p> <p>(i) Where the lease purports to be for a term not exceeding thirty years,</p> <p>(ii) Where the lease purports to be for a term exceeding thirty years</p> <p>(c) Where the lease is granted for a fine, or premium or for money advanced in addition to rent reserved.</p> <p>(i) Where the lease purports to be for a term not exceeding thirty years,</p>			<p>average annual rent reserved.</p> <p>@ 2% per thousand for a consideration equal to four times the amount or value of the average annual rent reserved.</p> <p>@ 2% per thousand for a consideration equal to five times the amount or value of the average annual rent reserved.</p> <p>@ 2% per thousand for a consideration equal to six times the amount or value of the average annual rent reserved.</p> <p>The same duty as a conveyance (No. 23 Clause(a) for a consideration equal to the market value of the property which is subject of the lease. @ 5%</p> <p>for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as setfoth in the lease. @ 2%</p> <p>The same duty as a conveyance (No. 23 Clause(a) for a consideration equal to the market value of the property which is subject of the lease. @ 5%</p> <p>for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease. @ 2%</p>	
---	--	--	---	--

	(ii) where the lease purports to be for a term exceeding thirty years				The same duty as a conveyance (No. 23 Clause(a) for a consideration equal to the market value of the property which is subject of the lease. @ 5%	
17.	Mortgage deed (a) when possession of the property or any part of the property comprised in such deed is given by the mortgagee or agreed to be given; (b) when possession is not given or agreed to be given as aforesaid	I-B	40	@ 20/- per thousand for a consideration equal to the amount secured by such deed @ 5/- per thousand for a consideration equal to the amount secured by such deed	Mortgagee	
18.	Copy/Extract	I-B	24	Rs. 10/-	receiver of copy	
19.	Notarial Act/Affidavit	I-B	42	Rs. 10/-	Oath person	
20.	Partnership Deed 1- where the capital of the partnership does not exceed Rs. 10,000/- 2-in any other case	I-B	46	Rs. 40/- per thousand on partnership capital The same duty as on abond for Rs. 10,000/-	by the partners according to share	
21.	(Power of Attorney) not being a proxy 1-Special Power of Attorney otherwise registration purposes 2-when authorising not more than five persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally.	I-B	48	20 / - 50 / -	executants of attorney	

	<p>3-when authorising more than five, but not more than ten persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally.</p> <p>4-When given for consideration and authorising the attorney to sell any immovable property</p> <p>5-When irrevocable authority is given to the attorney to sell immovable property.</p> <p>6- When authorising more than ten persons to act jointly or severally in more than one transaction or generally.</p>				100/-	<p>The same duty as a conveyance no 23 clause a for the amount of the consideration on the market value of the property forming subject matter of such authority.</p> <p>Ten rupees for each such person authorised.</p>	
22.	<p>Reconveyance of mortgaged property-</p> <p>(a) if the consideration for which the property was mortgaged does not exceed Rs. 1000.</p> <p>(b) In any other case</p>	I-B	54	50/- 50/-		mortgagee	
23.	<p>Release-</p> <p>1-If the amount or value of the claim does not exceed Rs. 2500</p> <p>2-In any other case</p>	I-B	55	120/- 120/-		executant	
24.	<p>Security Bond or Mortgage Deed</p> <p>1-when the amount secured does not exceed Rs. 100,</p> <p>2-in any othe case</p>	I-B	57	10/- 100/-		Receiver	

25.	(Settlement) as defined in Sec 2(24) in Stamp Act, included Mehar instrument	I-B	58	Rs. 40/- per thousand	Executant
26.	(Surrender of Lease)	I-B	61	40/-	Lessee
27.	(Transfer of lease) by way of assignment and not by way of under lease.	I-B	63	the same duty as a conveyance for a consideration equal to the amount the consideration for the transfer.	Lessee
28.	Trust Declaration of, of, or concerning any property, when made by writing not being a will 1-where the amount or alue does not exceed Rs. 10,000 2-Where such amount exceeds Rs. 10,000	I-B	64	Consideration value @ 40/- per thousand On Rs. 10,000, the duty payable under clause(i) and on the remainder ten rupees for every additional Rs. 1,000 or part thereof	Trustee
29.	Partition	I-B	45	@ 40/- per thousand on Partitioned property separately	by partitioned shareholder in his own share.

नोट-1. सभी प्रकार के दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की देयता हेतु आगणित मूल्यांकन पर 1 प्रतिशत रजिस्ट्रीकरण फीस देय होगी।
2. चार्ट में प्रदर्शित स्टाम्प शुल्क की दरों में विकास शुल्क के रूप में उद्ग्राहीत किया जाने वाला 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क सम्मिलित नहीं है।

रेडी रेकनर

दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी कैसे अदा करे इस सम्बन्ध में आम आदमी की जानकारी हेतु निम्नवत सूचना संकलित कर संक्षेप में प्रदर्शित है यह जानकारी के अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में उद्धृत किये जाने के लिए नहीं है जनता द्वारा सामान्य समझवहारे में प्रायः जिन प्रमुख दस्तावेजों/लिखतों को बनाया जाता है उन पर उत्तर प्रदेश में देय स्टाम्प ड्यूटी की दर निम्नवत है। यदि दस्तावेज के पक्षों के मध्य अन्यथा सहमति न हो तो स्टाम्प ड्यूटी किसके द्वारा अदा की जायेगी यह भी स्पष्ट किया गया है। जहां कहीं भी रकम के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय है वहां 1000 से ऊपर की धनराशियों को अगले निकटतम हजार में पूर्णांकित कर स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जायेगी। स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि दस के गुणक में पूर्णांकित की जायेगी।

क्र०सं०	लिखतों का वर्णन	अनुसूची	अनुच्छेद	उचित स्टाम्प ड्यूटी	किसके द्वारा देय
1.	रसीद (5000 रु० से अधिक) मूल्य प्राप्ति की (अनुच्छेद-1)	1	53	1.00 (रसीदी टिकट)	निष्पादक द्वारा
2.	दत्तक विलेख (गोदानामा)	1-ख	3	100	निष्पादक द्वारा
3.	अचल सम्पत्ति बचने के लिए करार या करार का ज्ञापन (क) जब बौनामा करार के पहले कब्जा नहीं दिया जाय अथवा कब्जा देने का करार न किया जाय। (ख) जब बौनामा करार के पहले कब्जा दिया जाय अथवा कब्जा देने का करार किया जाय। (ग) विवर्द्धस एग्जीक्यूट	1-ख	5	करार में दिशे गये प्रतिकल की रकम के आधे मूल्य पर 40 रु० प्रति हजार बैनामों के अनुसार	हितग्राही द्वारा हितग्राही द्वारा हितग्राही द्वारा
4.	टाइटिल डीडस के जमा करने सम्बन्धी करार	1-ख	6	निहित भूमि के मूल्य पर बैनामों के अनुसार उधार या ऋण की अधिकतम हजार में पूर्णांकित रकम पर 5 रु० प्रति हजार अधिकतम 10000/-	निष्पादक द्वारा
5.	बैंक गारन्टी	1-ख	12-ए	अधिकतम हजार में पूर्णांकित रकम पर 5 रु० प्रति हजार किन्तु अधिकतम 10000/-	पक्षकार द्वारा
6.	बान्ड (जिसके लिए कोई विशिष्ट निर्धारण अन्यथा न हो)	1-ख	15	40 रु० प्रति हजार	पक्षकार द्वारा
7.	निरस्तीकरण (कॉसिलेशन) (जिसके लिए कोई विशिष्ट निर्धारण अन्यथा न हो)	1-ख	17	100 रु०	पक्षकार द्वारा
8.	विक्रय प्रमाण-पत्र (सेल सर्टिफिकेट)	1-ख	18	नीलामी याशि की रकम पर बैनामों के अनुसार	क्रैता द्वारा
9.	हस्तान्तरण पत्र (बौनामा) (क) अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित (ख) चल सम्पत्ति से सम्बन्धित	1-ख	23	प्रतिकल या बाजारी मूल्य जो भी अधिक हो पर पुरुषों के लिए 50 रु० प्रति हजार तथा महिलाओं के लिए दस लाख रु० मूल्यांकन तक 40 रु० प्रति हजार एवं उससे अधिक की याशि पर 50 रु० प्रति हजार। 20 रु० हजार	क्रैता द्वारा
10.	तलाकनामा	1-ख	29	50 रु०	निष्पादक द्वारा
11.	मसनास/ड्रिफ्टकॉट	1-ख	25	50 रु०	क्रैता द्वारा
12.	विनिमय पत्र (एक्सचेंज)	1-ख	31	अधिकतम मूल्य वाली सम्पत्ति के लिए बैनामों के अनुसार	पक्षकारों द्वारा बराबर हिस्से में
13.	दान पत्र	1-ख	33	बाजारी मूल्य पर पुरुषों के लिए 50 रु० प्रति हजार तथा महिलाओं के लिए दस लाख रु० मूल्यांकन तक 40 रु० प्रति हजार एवं उससे अधिक की याशि पर 50 रु० प्रति हजार।	आदाता द्वारा
14.	क्षतिपूर्ति बान्ड	1-ख	34	100 रु०	पक्षकार द्वारा

15.	वित्तमा (पूजा तथा लिपिकीय ब्रुटि ठीक करने के लिए)	1-ख	34-ए	10 रु0	हिताही द्वारा
16.	पट्टा/अवर पट्टा या उप पट्टा या पट्टे पर देने का करार (किरायानामा) (क) बिना नजराने वाले तथा केवल वार्षिक किराया/भाटक नियत मामलों में 1. एक वर्ष तक की मियाद वाले 2. एक वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक की मियाद वाले 3. 5 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष तक की मियाद वाले 4. 10 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष तक की मियाद वाले 5. 20 वर्ष से अधिक तथा 30 वर्ष तक की मियाद वाले 6. 30 वर्ष से अधिक अवधि या शाश्वतता(दवामी) निश्चित अवधि के लिए ताल्पयित नहीं। (ख) नजराना या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये धन के लिए मंजूर बिना भाटक वाला पट्टा 1. 30 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए 2. 30 वर्ष से अधिक अवधि के लिए (ग) आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त नजराने या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर पट्टा 1. 30 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए 2. 30 वर्ष से अधिक अवधि के लिए	1-ख	35	कुल मियाद में देय रकम पर 2 प्रतिशत औसत वार्षिक किराया के तीन गुने मूल्यांकन की रकम पर 2 प्रतिशत औसत वार्षिक किराया के चार गुने मूल्यांकन की रकम पर 2 प्रतिशत औसत वार्षिक किराया के पांच गुने मूल्यांकन की रकम पर 2 प्रतिशत औसत वार्षिक किराया के छः गुने मूल्यांकन की रकम पर 2 प्रतिशत सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर रकम पर 5 प्रतिशत	पट्टागृहीता द्वारा या आरक्षित पट्टागृहीता द्वारा
17.	बन्धक (रिहान) (क) कब्जा देने का करार अथवा कब्जा सहित (ख) बिना कब्जा/कब्जा न देने का करार	1-ख	40	लिखत में वर्णित धनराशि पर 2 प्रतिशत सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर बैंनामें के अनुसार 5 प्रतिशत भाटक, जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम रूप की रकम या मूल्य जैसी स्थित हो पर प्रत्येक 1000 अथवा उसके भाग पर 2 प्रतिशत सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर बैंनामें के अनुसार 5 प्रतिशत	बंधकगृहीता द्वारा
18.	प्रति/उद्धरण	1-ख	24	10 रु0	नकल प्राप्तकर्ता द्वारा
19.	नोटरी सम्बन्धी कार्य/शपथ पत्र	1-ख	42	10 रु0	शपथकर्ता द्वारा
20.	भागीदारी (पार्टनरशिप) 1. जहाँ भागीदारी पूर्ण 10000/- रूपये से अधिक न हो 2. किसी अन्य मामले में	1-ख	48	भागीदारी पूर्ण पर 40/- प्रति हजार के अनुसार 10000/- रूपये मूल्य के बाण्ड पर देय स्टाम्प ड्यूटी।	पक्षकारों द्वारा अपने-अपने हिस्से के अनुसार
21.	अटार्नी की शक्ति (Power of Attorney) जो प्राक्सी न हो 1. मुख्तारनामाखास जो रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए आशयित हो 2. मुख्तारनामाखास जहाँ 5 व्यक्तियों से अधिक मुख्तार न बनाये	1-ख	48	20/- 50/-	मुख्तारनामों के निष्पादक द्वारा

	जाये 3. मुख्तारनामाखाम जहां 5 व्यक्तियों से अधिक परन्तु 10 व्यक्तियों को मुख्तार बनाये जाये 4. धन लेकर/प्रतिकल के बदले मुख्तार बनाकर अवल सम्पत्ति बेचने का अधिकार देने पर 5. अवल सम्पत्ति बेचने का अखण्डनीय अधिकार दिये जाने पर 6. मुख्तारनामाखाम जहां 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को मुख्तार बनाये जाये				100/- धन/प्रतिकल पर बैनामों के अनुसार सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर बैनामों के अनुसार प्रत्येक मुख्तार के लिये 10/- रूपया	
22.	बन्धकित सम्पत्ति की वापसी का लेखपत्र 1. बन्धक धनराशि 1000/- से अधिक न होने पर 2. अन्य किसी मामले में	1-ख	54	50/- 50/-		हितग्रहीता द्वारा
23.	दस्तबन्दारी 1. दावे की रकम 2500/- तक होने पर 2. अन्य किसी मामले में	1-ख	55	120/- 120/-		निष्पादक द्वारा
24.	प्रतिभूति-बन्धपत्र या बन्धक विलेख/Security Bond(अनुसूची 1ख के अनु0 57 में उपरोक्त) 1. जमानतनामों की रकम 100/- रूपये से अधिक न होने पर 2. किसी अन्य मामले में	1-ख	57	10/- 100/-		प्राप्तकर्ता द्वारा
25.	व्यावस्थापन (Settlement)-भारा 2(24) स्टाम्प अधिनियम में यथापरिभाषित जिसमें सेहर विलेख भी है।	1-ख	58	40/- प्रति हजार		निष्पादक द्वारा
26.	पट्टे का अखर्चण(Surrender of Lease)	1-ख	61	40/-		पट्टेदार/पट्टाग्रहीत 1 द्वारा
27.	पट्टे का अन्तरण(Transfer of lease) एसाइनमेंट द्वारा न कि उप पट्टे द्वारा	1-ख	63	लिखत में दर्जित प्रतिकल की रकम पर बैनामों के अनुसार		पट्टेदार/पट्टाग्रहीत 1 द्वारा
28.	ट्रस्ट(Trust)/व्यास वसीयत से भिन्न लिखत के रूप में की गयी किसी सम्पत्ति की या उसके बारे में व्यास की घोषणा 1. जहां रकम या मूल्य 10000/- से अधिक न हो 2. जहां ऐसी धनराशि 10000/- रूपये से अधिक हो	1-ख	64	रकम पर 40/- प्रति हजार के अनुसार अतिरिक्त प्रत्येक 1000/- रूपये के लिए 10/- में उपरोक्त विन्दु-1 में देय धनराशि जोड़कर।		ट्रस्टी द्वारा
29.	बंटवारा (Partition)	1-ख	45	सम्पत्ति पृथक भाग पर 40/- प्रति हजार		पक्षकारों द्वारा अपने अपने भाग के अनुसार

- नोट-1. सभी प्रकार के दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क की देयता हेतु आगणित मूल्यांकन पर 1 प्रतिशत रजिस्ट्रीकरण फीस देय होगी।
2. चार्ट में प्रदर्शित स्टाम्प शुल्क की दरों में विकास शुल्क के रूप में उद्ग्रहीत किया जाने वाला 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क सम्मिलित नहीं है।